सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–860

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड

29–7–2010

पटना, 29 जुलाई :: :राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0 एन0 नारायणन ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेतिया पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक, श्री राजीव वर्मा को मात्र एक बिन्दु पर सूचना देने तथा आयोग के निदेश के बावजूद अन्य बिन्दुओं पर सूचना नहीं देने के एवज में दिनांक 17. 9. 09 के प्रभाव से 19.7. 10तक के लिए 25000 रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही आवेदक के अपील पर प्रपत्र 'क' के अन्य बिन्दुओं पर (सिर्फ एक बिन्दु को छोड़कर) दिनांक 30. 10. 10 तक सूचना सुलभ कराने का निदेश दिया है।

ज्ञातव्य है कि इस आदेश की प्रति को जिलाधिकारी, बेतिया के माध्यम से तामिला कराने का आदेश सूचना आयुक्त ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12. 11. 10 को साढ़े दस बजे होगी।

——————————